हिन्दुस्तान 29 April, 2011

भ्रष्टाचार रोकने के लिए खाद्य उपभोक्ता विभाग की पहल

पैसे का लेन-देन अब ऑनलाइन

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

एजेंसियों के बीच पैसे का लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से हेगा। अब भुगतान में कोई विलंब नहीं होगा साथ ही बिचौलियों के लिए भी कोई गुजाइंश नहीं बचेगी। बस एक मिनट का समय लगेगा और करोड़ों रुपये एक खाते से दूसरे खाते में चले जाएंगे। सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को एक नई धार देते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसकी शुरुआत कर दी है। इससे सरकारी क्रय केन्द्रों पर खाद्यान्न बेचने वाले किसानों को भुगतान के लिए कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना होगा। गेहूं अधिप्राप्ति को तेज करने के लिए केन्द्रवार लक्ष्य तय किया जाएगा।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एजेंसियों में चेक से होने वाले करोबार को बंद कर दिया। विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री श्याम रजक ने गुरुवार को यह आदेश जारी कर दिया।

कवायद

- सरकारी क्रय केंद्रों पर खाद्यान्न बेचने वाले किसानों को भुगतान के लिए कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा
- मंत्री ने दिया निर्देश, पैक्सों से लेकर राज्य खाद्य निगम के पैसे का भुगतान नए सिस्टम से शुरू किया जाए, तय होगा केंद्रवार लक्ष्य

उन्होंने एफसीआई के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पैक्सों से लेकर राज्य खाद्य निगम तक के पैसे का भुगतान नये सिस्टम से किया जाए। इसी के साथ मंत्री ने गेहूं अधिप्राप्ति के लिए खोले गये क्रय केन्द्रों की जांच के लिए रोस्टर बनाने का निर्देश दिया है। हर केन्द्र पर गेहूं खरीद का लक्ष्य करने और लक्ष्य से अधिक खरीद करने वाली एजेंसी को पुरस्कृत करने के साथ कम खरीदने वाली को दंडित का फैसला किया गया।

गेहूं नहीं रहने के कारण कई जिलों में खाद्यान्न उठाव में आ रही बाधा को मंत्री ने गंभीरता से लिया। उन्होंने आरा, औरंगाबाद, नवादा, बेतिया, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया और मुंगेर जिलों में उठाव की अवधि 15 दिन बढ़ाने का निर्देश दिया। एफसीआई को कहा गया कि भविष्य में कहीं भी खाद्यान्न की कमी नही होनी चाहिए।

एफसीआई के गोदामों में सड़े अनाजों की जांच के लिए कमेटी बनेगी। गोदाम से सड़े हुए अनाज निकालकर अलग जमा किए जाएंगे। इससे खाद्यान्नों के लिए गोदाम की समस्या कुछ हद तक दूर होगी। बैठक में प्रधान सचिव त्रिपुरारी शरण के अलावा एफसीआई और राज्य खाद्य निगम के अधिकारी उपस्थित थे।